

[2025] 3 एस.सी.आर. 193 : 2025 आईएनएससी 248

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या/2025
(एस.एल.पी.(सीआरएल.) संख्या 16358/2024 से उत्पन्न)

राजस्थान राज्य

...अपीलार्थी

बनाम

सुरेन्द्र सिंह राठौर

....प्रतिवादी

:: हेडनोट ::

एफ आई आर - द्वितीय एफ आई आर - पंजीकरण - अनुमेयता - प्रत्यर्थी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह परियोजना निदेशक ब्लो - फ्युल प्राधिकरण के खिलाफ ब्लो डीजल की बिक्री और परिवादी के लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिए कथित रूप से रिश्वत मांगने के लिए पी. सी . अधिनियम की धारा 7 व 7 ए के तहत एफ आई आर दर्ज की गयी - तत्पश्चात प्रत्यर्थी के खिलाफ ब्लो फ्युल पम्प चलाने के लिए रिश्वत लेकर अनुज्ञा पत्र देने के आरोप में दूसरी एफ आई आर दर्ज की गई - बिचोलियो को निगरानी में रखा गया तथा षड्यंत्र के विवरणों को विस्तरत रूप से रिकॉर्ड किया गया - प्रत्यर्थी ने दूसरी एफ आई आर को रद्द करने की मांग की - उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई - जांच का आदेश दिया गया - अपील की अनुमति दी गई ।

निर्णय

संजय करोल, न्यायाधिपति

अनुमति दी गई।

2. यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा दिनांक 9 सितम्बर 2022 को एस.बी. दाण्डिक विविध (याचिका) संख्या 43622/2022 में पारित निर्णय व आदेश के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा जिला बीकानेर के पुलिस स्टेशन प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में दिनांक 14 अप्रैल 2022 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131/2022, अन्तर्गत धारा 7, 7A, 8 व 12 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन अधिनियम), 2018 तथा धारा 120-बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को रद्द करने की प्रत्यर्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया गया। एफ.आई.आर. को रद्द करने से व्यथित राज्य हमारे समक्ष है।

3. वर्तमान मुकदमें के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार हैं:-

3.1 तीन व्यक्तियों यथाकि, फर्न बायो-फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य विपणन अधिकारी विपिन परिहार, उसके व्यापारिक साझेदार देवेन शाह और कुसुम पेट्रो केमिकल्स के एस.डी. सत्य नारायण सैनी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई कि प्रत्यर्थी ने, जो राजस्थान सरकार के बायो-फ्यूल प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-परियोजना निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, कथित तौर पर ब्लो-डीजल की बिक्री के लिए 2 रुपये प्रति लीटर की दर से यानी प्रति माह 15 लाख रुपये और शिकायतकर्ता के लाईसेंस नवीनीकरण के लिए 5 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग रिश्त के तौर पर की। यह एफ.आई.आर. संख्या 123/2022 पी.सी. अधिनियम की धारा 7 और 7ए के तहत दर्ज की गई। यह मांग 4 अप्रैल 2022 को की गई थी।

3.2 30 सितम्बर 2021 से 12 अप्रैल 2022 के बीच हुई घटनाओं के लिए 14 अप्रैल 2022 को दूसरी एफ.आई.आर. दर्ज की गई, जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कांस्टेबल श्री श्याम प्रकाश ने डीएसपी श्री पारसमल के संज्ञान में जानकारी दी कि अन्य व्यक्तियों के अलावा प्रत्यर्थी बायो-फ्यूल पंप चलाने के लिए लाईसेंस देने के लिए रिश्त लेने में लिस है। निम्बा राम और आशीष बिचौलिए थे, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमति के बाद निगरानी में रखा गया था।

3.3 लगभग 30 पृष्ठों की यह एफ.आई.आर., उस कथित षड्यंत्र का विवरण देती है, जिसमें प्रत्यर्थी भी हिस्सा था, तथा इसमें षड्यंत्र के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में शामिल विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राप्त और की गई कॉलों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

4. दूसरी एफ.आई.आर. के पंजीकरण से व्यथित प्रत्यर्थी ने धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973² के तहत एक याचिका पेश की। अन्य बातों के अलावा इसे रद्द करने की मांग के आधार इस प्रकार हैं:-

(क) दूसरी एफ.आई.आर. में कोई नई घटना का खुलासा नहीं किया गया है। यदि कोई नई जानकारी सामने आती है, तो उसे सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी प्रस्तुत किया जाता है, तो अपनाया जाने वाला तरीका नई एफ.आई.आर. नहीं बल्कि उचित अनुमति के बाद आगे की तफ्तीश और फिर एक पूरक रिपोर्ट दाखिल करना है।

(ख) उन आरोपों के संबंध में दूसरी एफ.आई.आर. दर्ज करना जो पिछले आरोपों से जुड़े हैं, जिसके लिए पहले से ही एक एफ.आई.आर. दर्ज है, अनियमित होगा और इसे रद्द किया जाना चाहिए। बाबू भाई बनाम गुजरात राज्य³ पर भरोसा किया जाता है। इस फैसले में, यह बतलाया गया है कि यदि एक ही संव्यवहार के संबंध में दो एफ.आई.आर. हैं, तो उन्हें "समानता की परीक्षा" से गुजरना होगा। आगे टी.पी. एंटनी बनाम केरल राज्य⁴ का संदर्भ दिया गया है, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि एक मामले में दूसरी एफ.आई.आर. जो क्रॉस-केस नहीं है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है।

(ग) यह बतलाया गया है कि दूसरी एफ.आई.आर. के आरोप पहली एफ.आई.आर. के आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का प्रयास हैं।

(घ) प्रत्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोई मंजूरी नहीं ली गई है।

(ङ) एफ.आई.आर. और उसके बाद की तफ्तीश दोनों ही विधानमंडल के आदेश के विरुद्ध हैं और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

5. प्रत्यर्थी की दलीलें उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गईं। आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित बातें दर्ज की:

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, संक्षेप में

3. (2010) 12 एस सी सी 254

4. (2001) 6 एस सी सी 181

"15. इस मामले में, अभियोजन का कहना है कि याचिकाकर्ता को 7.4.2022 को श्री विपिन परिहार को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कुछ लाभ दिखाने के लिए अपने एजेंट के माध्यम से रिश्तित लेते हुए पकड़ा गया था, दूसरी प्राथमिकी 21.1.2022 की एक घटना से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर किसी शेखावतजी से आधिकारिक क्षमता में कुछ लाभ दिखाने के लिए रिश्तित स्वीकार की थी। दोनों अपराध प्रकृति में समान हैं और बहुत ही कम समय के भीतर किए गए हैं। दूसरी घटना जो पहली प्राथमिकी की विषय वस्तु से पहले हुई थी, उसकी तफ्तीश पहली प्राथमिकी में ही की जा सकती थी क्योंकि कानून के तहत दो आरोपों की एक सुनवाई की अनुमति थी।"

इस प्रकार दर्ज किए जाने के बाद, यह माना गया कि दूसरी एफआईआर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग थी। प्रत्यर्थी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता के पहलू पर, यह पाया गया कि पूर्व अनुमति आवश्यक थी और इसके बिना, आक्षेपित एफ.आई.आर. की तफ्तीश नहीं की जा सकती थी। इसी समझ के साथ उच्च न्यायालय ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूसरी एफआईआर को रद्द कर दिया।

6. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और दायर लिखित तर्कों का अवलोकन किया है। हमारे समक्ष विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या बाद में एफआईआर दर्ज करना कानूनी रूप से स्वीकार्य है और क्या उच्च न्यायालय ने इसे रद्द करने में अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके सही किया था।

7. हम पाते हैं कि इस न्यायालय के टी.टी. एंटनी (उपरोक्त उद्धृत) शीर्षक वाले निर्णय में यह स्थिति दर्ज की गई है कि दूसरी एफआईआर कायम रखने योग्य नहीं है। प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

"27. संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संज्ञेय अपराध की तफ्तीश करने की पुलिस की व्यापक शक्ति के बीच एक उचित संतुलन न्यायालय द्वारा बनाया जाना चाहिए। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि सीआरपीसी की धारा 173 की उपधारा (8) पुलिस को आगे की तफ्तीश करने, आगे के साक्ष्य (मौखिक और दस्तावेजी दोनों) प्राप्त करने और मजिस्ट्रेट को एक और रिपोर्ट या रिपोर्टें अग्रेषित करने का अधिकार देती है। नारंग वाले मामले में [(1979) 2 एससीसी 322: 1979 एससीसी (सीआरएल) 479] हालांकि यह निष्कर्ष अंकित किया गया था कि अग्रिम

अनुसंधान न्यायालय की अनुमति से किया जाना उचित होगा, लेकिन तफ्तीश की व्यापक शक्ति एक नागरिक को हर बार एक ही घटना के संबंध में पुलिस द्वारा नए सिरे से तफ्तीश के अधीन करने की गारंटी नहीं देती है, जो कि धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट दर्ज करने से पहले या बाद में लगातार एफ.आई.आर. दर्ज करने के परिणामस्वरूप एक या अधिक संज्ञेय अपराध हो सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से धारा 154 और 156 सीआरपीसी के दायरे से बाहर होगा बल्कि किसी दिए गए मामले में तफ्तीश की वैधानिक शक्ति के दुरुपयोग का मामला है। हमारे विचार में, दूसरी या लगातार एफ.आई.आर. के आधार पर नई तफ्तीश का मामला, जो काउण्टर केस नहीं है, उसी या उससे जुड़े संज्ञेय अपराध के संबंध में दायर किया गया है, या तो जो कथित तौर पर उसी संव्यवहार के दौरान किया गया है और जिसके संबंध में पहली एफ.आई.आर. के अनुसार तफ्तीश चल रही है या धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है, धारा 482 सीआरपीसी या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला हो सकता है।"

(जोर दिया गया)

8. हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इस नियम में कुछ लचीलापन आया है। इसका संदर्भ दिया जा सकता है:

8.1. अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश⁵ राज्य के मामले में इस न्यायालय ने दूसरी एफआईआर की अवधारणा पर विस्तार से विचार किया। हम निम्नलिखित कुछ टिप्पणियों को सुविधाओं के साथ पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:

"14. संहिता की धारा 154, 156 और 190 की भाषा और योजना के सरल अर्थ पर, यह नहीं माना जा सकता है या सुझाव दिया जा सकता है कि किसी घटना के बारे में एक से अधिक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। हालाँकि, धारा 154 के शुरुआती शब्द बताते हैं कि संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित हर सूचना को पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि किसी ऐसी घटना के बारे में पहली सूचना रिपोर्ट होनी चाहिए जो संज्ञेय अपराध का गठन करती है। एफआईआर दर्ज करने

का उद्देश्य आपराधिक तफ्तीश की मशीनरी को गति में लाना है, जो संहिता की धारा 173(2) के अनुसार पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के साथ समाप्त होती है। इस प्रकार, इस स्थापित सिद्धांत का पालन करना उचित होगा कि एक ही अपराध के लिए दो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा सकती हैं। हालांकि, जहां घटना अलग है; अपराध समान या भिन्न हैं, या यहां तक कि जहां बाद का अपराध इतना बड़ा है कि यह पहले दर्ज की गई एफ.आई.आर. के सीमा और दायरे में नहीं आता है, तो दूसरी एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू संहिता की धारा 154 की भाषा में विधायिका द्वारा प्रदान किए गए अंतर्निहित सुरक्षा उपायों की जांच करना है। इन सुरक्षा उपायों को दोहरे खतरे, निष्पक्ष तफ्तीश के नियम और पुलिस के तफ्तीश प्राधिकारी द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के सिद्धांत से सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है। इसलिए, एक ही घटना के लिए दूसरी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा सकती। बेशक, तफ्तीश एजेंसी के पास कोई निर्णायक अधिकार नहीं है। यह केवल संहिता के प्रावधानों के अनुसार तफ्तीश करने का अधिकार है। तफ्तीश पूरी होने पर रिपोर्ट दर्ज करना, चाहे रद्द करने के लिए या अपराध किए जाने का आरोप लगाने के लिए, एक ऐसा मामला है जो एक बार सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर होने के बाद पुलिस के संबंध में एक तरह की अंतिमता प्राप्त कर लेता है। किसी दिए गए मामले में, आगे की तफ्तीश के अधिकार के अधीन हो सकता है, लेकिन जहाँ तफ्तीश पूरी हो गई है और कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है, या निर्दोष पाया जाता है, तफ्तीश एजेंसी द्वारा उसी अपराध के संबंध में एक और एफ.आई.आर. दर्ज करके तफ्तीश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति को ऐसी सुरक्षा नहीं दी जाती है तो पुलिस द्वारा तफ्तीश शक्तियों के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसी इरादे को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 154 की ऐसी व्याख्या की जानी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल कानून का उद्देश्य बल्कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तफ्तीश भी आगे बढ़ेगी। इसके अलावा, आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, पुनः तफ्तीश या नए सिरे से तफ्तीश न केवल तफ्तीश एजेंसी बल्कि विद्वान मजिस्ट्रेट की क्षमता से भी परे है। न्यायालयों ने यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से इस कारण से अपनाया है कि यह संहिता की योजना और विशेष रूप से संहिता की धारा 167(2) के

विपरीत होगा। (संदर्भ रीता नाग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(2009) 9 एससीसी 129: (2009) 3 एससीसी (क्रि) 1051) और विनय त्यागी बनाम इरशाद अली [(2013) 5 एससीसी 762] उसी तिथि के।)"

(जोर दिया गया)

8.2. कारी चौधरी बनाम सीता देवी⁶ के मामले में इस न्यायालय ने कहा:

"11. विद्वान वकील ने एक वैकल्पिक तर्क अपनाया कि एक बार एफआईआर संख्या 135 के तहत शुरू की गई कार्यवाही अंतिम रिपोर्ट में समाप्त हो जाने के बाद पुलिस के पास दूसरी एफआईआर दर्ज करने और इसे एफआईआर संख्या 208 के रूप में नंबर देने का कोई अधिकार नहीं था। बेशक कानूनी स्थिति यह है कि एक ही मामले के संबंध में एक ही आरोपी के खिलाफ दो एफआईआर नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब एक ही प्रकरण के संबंध में प्रतिद्वंद्वी संस्करण होते हैं, तो वे आम तौर पर दो अलग-अलग एफआईआर का रूप ले लेते हैं और एक ही तफ्तीश एजेंसी द्वारा दोनों के तहत तफ्तीश की जा सकती है। इसके अलावा, 1998 की एफआईआर संख्या 208 के रूप में अदालत में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को पुलिस द्वारा तफ्तीश के दौरान की गई खोज के बारे में अदालत में प्रस्तुत की गई जानकारी के रूप में माना जाना चाहिए कि एफआईआर संख्या 135 में नामित नहीं किए गए व्यक्ति ही असली अपराधी हैं। केवल इस आधार पर उक्त कार्यवाही को रद्द करना कि एफआईआर संख्या 135 में अंतिम रिपोर्ट रखी गई थी, कम से कम कहने के लिए, बहुत तकनीकी है। प्रत्येक तफ्तीश का अंतिम उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या कथित अपराध किए गए हैं और यदि हाँ, तो उन्हें किसने किया है।"

(जोर दिया गया)

8.3. दूसरी एफआईआर के बारे में स्थिति उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश⁷ वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्पष्ट की गई है। निर्णय में की गई प्रासंगिक चर्चा को सुलभ संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

"21. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि किसी शिकायत से उत्पन्न शिकायत के संबंध में भी यदि आगे की तफ्तीश में यह पाया जाता है कि पिछली शिकायत में

6. (2002) 1 एस सी सी 714

7. (2004) 13 एस सी सी 292

उल्लिखित साजिश से भी बड़ी साजिश थी, तो न्यायालय के अधीन एक और शिकायत के साथ आगे की तफ्तीश स्वीकार्य है।

22. राम लाल नारंग बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) [(1979) 2 एससीसी 322: 1979 एससीसी (सीआरआई) 479] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलोकन यह भी दर्शाता है कि ऐसे मामलों में भी जहां पहले से ही शिकायत दर्ज है, प्रति-शिकायत की अनुमति है, लेकिन यह आगे बढ़कर यह भी मानता है कि ऐसे मामलों में भी जहां पहली शिकायत दर्ज की गई है और तफ्तीश शुरू की गई है, तफ्तीश के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर उसी शिकायतकर्ता द्वारा आगे की शिकायत दर्ज करना संभव है। बेशक, राम लाल नारंग [(1979) 2 एससीसी 322: 1979 एससीसी (सीआरआई) 479] वाले मामले में निर्धारित कानून के इस बड़े प्रस्ताव पर हमें वर्तमान मामले में भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि राम लाल नारंग ((1979) 2 एससीसी 322: 1979 एससीसी (क्रि) 479] वाले मामले में चर्चा उसी पंक्ति में है जैसा कि कारी चौधरी [(2002) 1 एससीसी 714: 2002 एससीसी (क्रि) 269] और बिहार टी. टी. एंटनी केस [(2001) 6 एससीसी 181: 2001 एससीसी (सीआर) 1048], राम लाल नारंग केस [(1979) 2 एससीसी 322: 1979 एससीसी (सीआरआई) 479] के निर्णयों में पाया गया है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टी.टी. एंटनी [(2001) 6 एससीसी 181: 2001 एससीसी (सीआरआई) 1048] वाले मामले में, राम लाल नारंग [(1979) 2 एससीसी 322: 1979 एससीसी (सीआरआई) 479] वाले मामले का संज्ञान लिया गया था, लेकिन न्यायालय ने किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त नहीं की थी।

23. जैसा भी हो, अगर इस न्यायालय द्वारा टी.टी. एंटनी [(2001) 6 एससीसी 181:2001 एससीसी (सीआरआई) 1048] वाले मामले में निर्धारित कानून को स्वीकार किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि एक ही घटना के संबंध में प्रति-शिकायत के रूप में दायर की गई दूसरी शिकायत संहिता के तहत निषिद्ध है, तो हमारी राय में, इस तरह के निष्कर्ष से गंभीर परिणाम होंगे। यह नीचे दिए गए काल्पनिक उदाहरण से स्पष्ट होगा, यानी अगर वास्तविक आरोपी द्वारा किए गए अपराध के संबंध में वह झूठी शिकायत दर्ज करने का पहला अवसर लेता है और उसे क्षेत्राधिकार वाली पुलिस द्वारा पंजीकृत किया जाता है, तो ऐसे

अपराध का पीड़ित व्यक्ति संबंधित घटना के बारे में अपना संस्करण देते हुए शिकायत दर्ज करने से वंचित हो जाएगा, परिणामस्वरूप वह वास्तविक आरोपी को सजा दिलाने के अपने वैध अधिकार से वंचित हो जाएगा। यह संहिता का आशय नहीं हो सकता।

24. हम पहले ही देख चुके हैं कि टी.टी. एंटनी [(2001) 6 एससीसी 181: 2001 एससीसी (सीआरआइ) 1048] मामले में इस न्यायालय ने पीड़ित व्यक्ति के प्रतिवाद दायर करने के कानूनी अधिकार पर विचार नहीं किया, इसके विपरीत उक्त निर्णय में पाई गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रतिवाद दायर करना स्वीकार्य है।

(जोर दिया गया)

8.4. बाबूभाई (उपरोक्त उद्धृत) में यह देखा गया कि:

"21. ऐसे मामले में अदालत को दोनों एफआईआर को जन्म देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करनी होगी और समानता का परीक्षण यह पता लगाने के लिए लागू किया जाना चाहिए कि क्या दोनों एफआईआर एक ही घटना के संबंध में एक ही घटना से संबंधित हैं या उन घटनाओं के संबंध में हैं जो एक ही संव्यवहार के दो या अधिक भाग हैं। यदि उत्तर सकारात्मक है, दूसरी एफआईआर रद्द की जा सकती है। हालांकि, अगर विपरीत साबित हो जाता है, जहां दूसरी एफआईआर में बयान अलग है और वे दो अलग-अलग घटनाओं/अपराधों के संबंध में हैं, तो दूसरी एफआईआर स्वीकार्य है। अगर एक ही घटना के संबंध में पहली एफआईआर में आरोपी अलग बयान या प्रतिदावे के साथ सामने आता है, तो दोनों एफआईआर पर तफ्तीश की जानी चाहिए।"

(जोर दिया गया)

8.5. निर्मल सिंह कहलौं बनाम पंजाब राज्य⁸ वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में कहा कि जब कोई नई खोज की जाती है, तो दूसरी एफआईआर कायम रखने योग्य होगी। यह इस प्रकार कहा गया:

"67. हमारी राय में, दूसरी एफआईआर न केवल इसलिए बनाए रखने योग्य होगी क्योंकि इसमें अलग-अलग संस्करण थे, बल्कि तब भी जब तथ्यात्मक

8. (2009) 1 एस सी सी 441

आधार पर नई खोज की गई हो। पुलिस अधिकारियों द्वारा बाद के चरण में खोज की जा सकती है। एक बड़ी साजिश के बारे में खोज किसी अन्य कार्यवाही में भी सामने आ सकती है, उदाहरण के लिए, इस प्रकृति के मामले में। यदि पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष तफ्तीश नहीं की और मामले के साजिश पहलू को अपनी तफ्तीश के दायरे से बाहर रखा, तो हमारी राय में, जब भी यह सामने आए, तो राज्य और/या उच्च न्यायालय के लिए उस अपराध के संबंध में तफ्तीश का निर्देश देना स्वतंत्र था जो उस अपराध से अलग और पृथक है जिसके लिए पहले से ही एफआईआर दर्ज की गई थी।"

(जोर दिया गया)

8.6. इन निर्णयों के अलावा, राम लाल नारंग बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन),⁹ सुरेन्द्र कौशिक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,¹⁰ तथा पी. श्रीकुमार बनाम केरल राज्य¹¹ का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

9. उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य से, अन्य बातों के साथ-साथ, दूसरी एफआईआर दर्ज करने की अनुमति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

9.1. जब दूसरी एफआईआर प्रति-शिकायत हो या तथ्यों के एक सेट का प्रतिद्वंद्वी संस्करण प्रस्तुत करती हो, जिसके संदर्भ में पहले की एफआईआर पहले से ही पंजीकृत हो।

9.2. जब दो एफआईआर का दायरा अलग-अलग हो, भले ही वे एक ही परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हों।

9.3. जब तफ्तीश और/या अन्य माध्यमों से पता चले कि पहले दर्ज एफआईआर या तथ्य किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं।

9.4. जब तफ्तीश और/या घटना से संबंधित व्यक्ति अब तक अज्ञात तथ्यों या परिस्थितियों को प्रकाश में लाते हैं।

9.5. जहां घटना अलग-अलग हो; अपराध समान या भिन्न हों।

10. जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, उच्च न्यायालय ने पाया कि दोनों एफआईआर वास्तव में एक ही अपराध के संबंध में थीं और इसलिए, संधारण योग्य नहीं हैं, हालांकि, हमारे विचार में दोनों एफआईआर का दायरा, जैसा कि पहले ही पैरा 3 में उल्लेख किया गया है, अलग-अलग हैं। समय

9. (1979) 2 एस सी सी 322

10. (2013) 5 एस सी सी 148

11. (2018) 4 एस सी सी 579

के संदर्भ में पहले की एफआईआर एक विशेष घटना को संदर्भित करती है और उसमें की गई कार्रवाई सीमित है। दूसरी एफआईआर संबंधित विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे से संबंधित है और इसलिए, इसका दायरा पिछली एफआईआर से बहुत बड़ा है।

11. एफआईआर को रद्द करने से इस तरह के भ्रष्टाचार की तफ्तीश शुरू में ही रुक जाएगी। यह समाज के हित के खिलाफ होगा।

12. वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, पैरा 1 में उल्लिखित निर्णय को रद्द किया जाता है और एफआईआर संख्या 131/2022 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर की फाइल पर बहाल किया जाता है। हम जल्द से जल्द तफ्तीश पूरी करने का निर्देश देते हैं। पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

13. अपील स्वीकार की जाती है तथा लंबित आवेदनों का, यदि कोई हों, निपटारा किया जाता है।

.....जे.

(संजय करोल)

.....जे.

प्रशांत कुमार मिश्रा

दिनांक: 19 फरवरी 2025

नई दिल्ली

Checked by

Kailash Puniya